कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा।

पत्रांक 2361/7–पं0/एस0बी0एम0(जी0)/ 2023–24 दिनांक 18/12/023

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी
2– समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद– एटा।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव/संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 के पत्र संख्या– 5/1149/2023–5/35/2022 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस की मॉडल श्रेणि में ले जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0 प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन किया जाना प्रमुख घटक है। ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टंग यूनिट, नाडेप/खाद गड्ढे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

2– वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए चयनित ग्राम पंचायतों के लिए राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उपरोक्तानुसार सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख–रखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एकरूपता नही है।

3– ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित कराई जा रही परिसम्पत्तियों मुख्यतः आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा के संचालन/रख–रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वय वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता है:–

I- ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई–रिक्शा के माध्यम से किया जायेगा।

II- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा का संचालन घर–घर से कूडा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहॉ सफाई कर्मी तैनात नही है। वहॉ ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जायेगा।

III- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के समस्त कार्यो यथा–छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिए स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1758 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालय का दायित्व सौंपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।

IV- छटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गॉव में ही निस्तारित हो सकती है, ऐसी सामग्री को बर्मी कम्पोस्ट, खाद गढ्ढा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिए दायित्व निर्धारित किया जायेगा। जो सामग्री जैसे– प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच, आदि का निस्तारण गॉव में ही नही हो सकता, उसे गॉव से ले जाने वाले व्यक्ति/समूह/संस्था

जिला पंचायत राज अधिकारी
एटा

Scanned with OKEN Scanner

से भी समन्वय स्थापित गॉव में नही हो सकता, उसे गॉव से ले जाने वाले व्यक्ति/समूह/संस्था से भी समन्वय स्थापित कर दायित्व सौपा जायेगा।

V- पर्याप्त जागरूकता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूडा संग्रह शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हे निर्धारित रसीद उपलब्ध कराई जायेगी (रसीद का प्रारूप संलग्न है)।

आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुए एवं अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की बिकी के साथ–साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ0एस0आर0 बैक खाते में जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहों पर होन वाले व्यय का समायोजन कियाजायेगा। जिन ग्राम पंचायतों उक्त गतिविधियों से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नही हो सकेगा, वहॉ यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियॉं संचालित की जायेगी।

VI- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रगेशन शेड, पंचायत भवन पर वाल पेन्टिग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा, तथा लिखित रूप से सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों यथा रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण, शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकार्ड किपीग के लिए लाग बुक/रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात ग्राम पचांयत सचिव एवं पंचायत सहायक का होगा।

VII- ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं धरेलू स्तर पर कूडा संग्रहण हेतु पृथक–पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती है। शुल्क संलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एस0आर0 खाते के माध्यम से प्राप्त क्यू0आर0 कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते से सम्बन्धित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये।

VIII- ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियॉ एवं घरेलू स्तर पर कूडा संग्रहण हेतु पृथक–पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती है। शुल्क संलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एसं0आर0 खाते के माध्यम से प्राप्त क्यू0आर0 का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते सम्बन्धित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जायेगा।

IX- ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का कियान्वयन स्वयं सहायता समूहों/श्रमिकों/ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिए शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात

जिला पंचायत राज अधिकारी

एटा

Scanned with OKEN Scanner

का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट /खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।

X- कचरा संग्रहण वाहन, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीग्रेशन शेड के संचालन में लगे कर्मियों के लिए हाईजिन किट यथा–एप्रेन, कैप, मास्क सैनेटाईजर, बूट इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

XI- गॉव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि जैसी वस्तुए ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आबद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं उस व्यवित/संस्था के मध्य दरें एंव अन्य सुविधाओं की शर्ते स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।

XII- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं कार्यरत कर्मियों के लिए दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वाल पेन्टिग आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।

XIII- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेन्टनेन्स कराया जायेगा।

XIV- वित्तीय वर्ष तृतीय त्रमास से प्रदेश के समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख–रखाव के आधार पर रैकिग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगे।

XV- गॉव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करें, क्या न करे, से सम्बन्धित विन्दुओं की वाल राईटिंग/वाल पेन्टिंग सुनिश्चित की जायेगी।

XVI- हेजार्डस अपशिष्ट यथा–डाय पर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट जैसे पट्टी प्रयोग की गई सिरिंज अनुपयोगी दवाये आदि को अलग एकत्रित किया जायेगा। तथ उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन /प्रस्तावित आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था उक्तानुसार कराये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(कृष्ण कुमार सिंह चौहान)
जिला पंचायत राज अधिकारी
एटा।

पत्रांक 2361/7–पं0/एस0बी0एम0(जी0)/शि0/ 2023–24 दिनांक 18/12/023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी महोदय एटा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय एटा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपनिदेशक (पं0) महोदय अलीगढ मण्डल अलीगढ।

जिला पंचायत राज अधिकारी
एटा।

Scanned with OKEN Scanner